भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2581
दिनांक 05 अगस्त, 2025/14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

†2581. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में सुनवाई से पूर्व हिरासत के बढ़ते मामलों के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 'सामान्य रूप से जमानत, विशेष प्रकरण में जेल' विषयक टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ख) क्या निचली अदालतों में ज़मानत के सिद्धांत का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशानिर्देश या क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो वर्ष 2023 से जिन राज्यों में न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है, वहाँ क्या व्यवस्था है; और

(ग) क्या जिला और उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की समीक्षा और ज़मानत आवेदन में विलंब सहित लंबी सुनवाई से पूर्व हिरासत के मामलों की निगरानी करने और उसकी अवधि कम करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय 35 में जमानत और बॉन्ड के संबंध में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, जो न्यायाधीशों, न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने का शीर्ष संस्थान है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों, दोनों के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम चलाती है और जमानत देने का विषय हमेशा इन कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषता होती है। ऐसे कार्यक्रमों में, विचारणाधीन कैदियों और उचित मामलों में लंबित अपीलों वाले दोषसिद्ध व्यक्तियों को जमानत देने के विषय पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार विस्तार से विचार-विमर्श किया जाता है। इस तरह

के व्याख्यान वरिष्ठ न्यायाधीशों और आपराधिक मामलों में पक्ष रखने वाले जाने-माने वकीलों द्वारा संचालित किए जाते हैं। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रतिपादित 'जमानत नियम है, जेल अपवाद' के सिद्धांत पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, विचारणाधीन कैदी को कैद में रखने की अधिकतम अवधि का निर्धारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 में किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने पहली बार अपराध किया है (जिसे पूर्व में किसी अपराध के लिए कभी भी दोषसिद्ध नहीं किया गया हैं), और यदि उसे उक्त कानून के तहत ऐसे अपराध के लिए निर्धारित कैद की अधिकतम अवधि की एक-तिहाई अवधि के लिए कैद में रखा जा चुका है, तो उसे न्यायालय द्वारा बॉन्ड पर रिहा किया जा सकेगा। जेल अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करे। गृह मंत्रालय ने विचारणाधीन कैदियों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य कारागार प्राधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 479 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 16.10.2025 को एक एडवाइजरी जारी की है।

******